राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक प. 12(3) वित्त/नियम/2022 जयपुर, दिनांक : 08 SEP 2022

परिपत्र

विषयः राजकीय उपक्रमों/स्वशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि में नियुक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ दिये जाने–बाबत।

संदर्भः वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12(3) वित्त/नियम/2022 दिनांक 24.03.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा ऐसे शेष समस्त राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय/ विश्वविद्यालय आदि जिन पर रेप्सर एक्ट, 1999 के प्रावधान प्रभावी हैं, में कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हें आदिनांक तक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें दिनांक 01–04–2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की सहमति दी गई थी। इन संस्थानों के कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण दिनांक 01–04–2022 से प्रभावी किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24–3–2022 तक जिन उपक्रम / स्वायत्तशासी निकायों में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा वेतन निर्धारण की सहमति नहीं दी गई थी, यदि उनके कार्मिकों को परिपत्र दिनांक 24–3–2022 के निर्देशों के विपरीत अनियमित रूप से पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया है अथवा इन संस्थाओं के कार्मिकों को जो प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, पुनरीक्षित वेतनमान 2017 का लाभ दे दिया गया है, तो तुरन्त प्रभाव से उसे प्रत्याहारित कर संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 1–4–2022 से ही पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाये और यदि पुनरीक्षित वेतनमान 2017 का लाभ दिनांक 1–4–2022 से पूर्व प्राप्त कर लिया है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली तुरन्त प्रभाव से की जाये।

उपरोक्त के आधार पर राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा तथा अन्य संस्थानों के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त, शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

8/9/22

(एस.जेड.शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RAPSAR 67/2022)